अमर उजाला कॉम्पैक्ट वाराणसी, बुधवार, 15 दिसंबर 2010

नाटकों से दी सूचना के अधिकार की जानकारी

वाराणसी। सूचना अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अभियान संस्था ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान चालीस लोगों ने अपनी समस्याएं लिखित दीं। शाम के समय वकीलों की भीड़ भी इस ओर खिंची चली आई और आवेदन की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी ली।

डीएम को दिया गया ज्ञापन

इस अवसर पर दो नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। एक नाटक सूचना के अधिकार पर आधारित था, जबकि दूसरा मनरेगा मजदूरों पर आधारित था। नाटक करने वाले कलाकारों ने खूब वाहवाही लूटी। इस दौरान संस्था की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इसमें कहा गया था कि कई विभाग कैश पैसा लेने से मना करते हैं और सूचना देने में आनाकानी करते हैं।

लोगों ने आवेदन के तरीकों के बारे में ली जानकारी

अंतिम दिन हुई संगोष्ठी

प्रदेश संयोजक वल्लभाचार्य पांडेय ने बताया कि पांच दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन 15 दिसंबर को सूचना अधिकार की सामान्य जानकारी दी जाएगी। 16 को नुक्कड़ नाटक और लोकगीत के माध्यम से जागरूक लोगों को जागरूक किया जाएगा।

17 को क्या करें और क्या न करें। 18 को सूचना अधिकार कानून चुनौतियां एवं समाधान पर संगोष्ठी होगी। इस अवसर पर नंदलाल, अजय पटेल, रेखा सिंह चौहान, उषा सिंह, आशा तिवारी, प्रदीप सिंह, राजेश, अंजनी, राजकुमार, अशोक चौहान, संदीप कश्यप, रमेश सिंह और सिद्धार्थ आदि मौजूद रहे।

हिन्दुस्तान वाराणसी शनिवार, 18 दिसम्बर 2010 वाराणसी

आतंकवाद का किया विरोध

वाराणसी। जिला मुख्यालय पर सूचना का अधिकार अभियान शिविर में शुक्रवार को साझा सांस्कृतिक मंच की बैठक शीतलाघाट पर हुई जिसमें आतंकवादी घटना तीव्र विरोध किया गया। मृत स्वास्तिका और महिला के लिए दो मिनट का मौन भी रखा गया। अध्यक्षता सिद्धार्थ, संचालन प्रेम व धन्यवाद ज्ञापन बल्लभाचार्य ने दिया। बैठक में फादर आनंद, नंदलाल मास्टर, राजेश, वीरेन्द्र, विवेक, रेखा आदि मौजूद थी।

■ संगोष्ठी : सूचना का अधिकार अभियान की ओर से विकास भवन सभागार में पूर्वाह्न 11 बजे।।

बुधवार, 15 दिसम्बर, 2010 वाराणसी हिन्दुस्तान 3

'आरटीआई' के प्रसार के लिए जनमुहिम शुरू

सूचना का अधिकार के लिए जिला मुख्यालय पर शुरू हुआ पांच दिनी अभियान

निज संवाददाता

वाराणसी

सूचना का अधिकार अधिनियम के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सूचना का अधिकारी अभियान, उप्र की ओर से पांच दिनी जागरूकता शिविर का शुभारम्भ मंगलवार को जिला मुख्यालय पर किया गया। पहले दिन दर्जनों नागिरकों ने विभिन्न मामलों से जुड़ी सूचनाएं मांगी। इस मौके पर जन विकास समिति तथा दलित विकास समिति, गाजीपुर की ओर से नुक्कड़ नाटक व लोकगीत की प्रस्तुति की गयी। वहीं आयोजित हस्ताक्षर अभियान में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर कानून को और अधिक मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को संदेश भेजा। शिविर का उद्घाटन केशव चन्द्र वैरागी ने किया। कहा कि सूचना के अधिकार कानून से भ्रष्टाचार पर अंकुश लग रहा है। लेकिन कुछ मामलों में जनता को सूचना नहीं मिल रही। इस सम्बंध में डीएम को सात सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। संयोजक वल्लभाचार्य ने कहा कि हर गुरुवार को कचहरी पर जागरूकता शिविर चलाया जाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी सिद्धार्थ व संचालन नन्दलाल मास्टर ने किया। इस मौके पर अजय पटेल, जयशंकर पाण्डेय, प्रदीप, सिस्टर शिल्पा, अंजनी सिंह, प्रेम प्रकाश, सुनीता, ऊषा, सावित्री, नीता देवी आदि मौजूद थीं।

दैनिक जागरण वाराणसी, 17 दिसंबर 2010

सूचना आयोग की निष्ठा पर उठाए गए सवाल

वाराणसी : सूचना का अधिकार अभियान संगठन ने जिला मुख्यालय पर आयोजित शिविर के तीसरे दिन गुरुवार को गोष्ठी में सूचना आयोग की निष्ठा पर सवाल उठाया।

मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में संस्था ने इसकी जांच कराने का अनुरोध किया है। संयोजक बल्लभाचार्य पांडेय ने सूचना आयोग में तलब होने वाले अधिकारियों द्वारा सरकारी खर्चे पर भी रोक लगाने की मांग की है। गोष्ठी व सभा में नंदलाल मास्टर, जयशंकर पांडेय, महेंद्र समेत अन्य शामिल थे।

आरटीआई की चुनौतियों व समाधान पर संगोष्ठी

वाराणसी : सूचना का अधिकार अभियान संस्था की ओर से शनिवार को विकास भवन सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें 'सूचना के अधिकार की चुनौतियां व समाधान' पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। राज्य सूचना आयुक्त ज्ञानेंद्र शर्मा, केंद्रीय सूचना आयोग के उपसचिव पंकज श्रेयस्कर, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त ओपी केजरीवाल, गांधी विद्या संस्थान के प्रो. दीपक मलिक विचार व्यक्त करेंगे। अभियान के वल्लभाचार्य पांडेय ने बताया कि संगोष्ठी के प्रथम सत्र में आमजन व द्वितीय सत्र में सूचना अधिकारी प्रतिभाग करेंगे। राज्य सूचना आयुक्त ज्ञानेंद्र शर्मा शुक्रवार को ही काशी आ जाएंगे।

पायनियर
बुधवार, 15 दिसम्बर, 2010

'उपलब्धियों के साथ चुनौतियां भी'

पायनियर समाचार सेवा। **वाराणसी**

सूचना का अधिकार कानून के लागू हुए पांच साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पांच दिवसीय जागरूकता शिविर का शुभारम्भ मंगलवार को जिला मुख्यालय पर हुआ। इस दौरान नुक्कड़ नाटक और सभा के माध्यम से लोगों जागरूक किया गया। साथ ही इस दौरान लोगों ने सूचनाएं भी मांगी।

शिविर का उद्घाटन करते हुए एनएपीएम के प्रदेश संयोजक ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि इस कानून के पांच वर्ष उपलब्धियां तो हैं। इसके साथ ही काफी चुनौतियां भी हैं। इस कारण इस हथियार को और भी धारदार बनाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार से मांग की जाएगी। वक्ताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का यह एक सशक्त माध्यम है। आम आदमी इस कानून से काफी उम्मीदें लगाए है। कानून के पांच वर्ष बीत जाने पर आम जनता में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के प्रति काफी जागरूकता आयी है। लेकिन अभी भी कुछ मामलों में सूचना अधिकारी व आयोग गम्भीर नहीं है। इसके लिए सात सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा गया है।

सूचना अधिकार कानून के पांच वर्ष पूरे

इसमें कहा गया है कि समस्त विभागों में यथा स्थान जनसूचना अधिकारी का बोर्ड लगाया जाय। विभागों को नगद शुल्क लेने का आदेश दिया जाय। सूचनाओं को सार्वजनिक बोर्ड पर प्रकाशित किया जाय। जो लोग सूचनाएं मांग रहे हैं। उनका उत्पीड़न बन्द किया जाय। समय से सूचनाएं दी जांय ताकि आवेदकों को आयोग के समझ न जाना पड़े। अधिकारी तो सरकारी खर्चे पर आयोग तक पहुंच जाता है लेकिन आम आदमी को अपनी जेब से पैसा खर्च कर छोटी सी सूचना के लिए लखनउ की दौड़ लगानी पड़ती है। इस दौरान सूचना का अधिकार अभियान के बल्लभाचार्य पाण्डेय, केशव चन्द्र वैरागी, नन्दलाल मास्टर, अजय पटेल, जयशंकर पाण्डेय, प्रदीप, सिस्टर शिल्पा, विश्वेस, अंजनी सिंह, अरविन्द, राजेश, प्रेम प्रकाश, रेखा आदि मौजूद रहे।

राष्ट्रीय सहारा
वाराणसी। शुक्रवार • 17 दिसम्बर • 2010

सूचना के अधिकार अधिनियम का कड़वा सच

14 माह से सूचना का इंतजार

चिरईगांव- वाराणसी (एसएनबी)। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सूचना के अधिकार को सबसे कारगर हथियार माना जाता है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता को हर छोटी- बड़ी चीजों की जानकारी होना चाहिए शायद इसी लिए जनता को सूचना का अधिकार कानून बनाया गया। सरकारें भी सूचना के अधिकार के प्रति गंभीर होने का दावा करते रहती है। इस कानून के प्रति लापरवाही बरतनें वालों पर कई बार आर्थिक दंड भी लगाया गया है लेकिन फिर भी जनता को इस कानून का कितना फायदा मिल रहा है, इस पर सवालिया निशान लगा हुआ है। नियम एक माह के अंदर अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने का है। पर यहां तो एक, दो नहीं पूरे 14 महीने बीत चुके है और फिर भी सूचनाएं नहीं मिली। हम बात कर रहे हैं चिरईगांव विकास खण्ड के ग्राम पंचायत परनापुर के निवासी गुरुचरन भारती की। गुरुचरन ने पिछले वर्ष सितम्बर में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत ग्राम सभा परनापुर में चल रहे विकास कार्यक्रमों से संबंधित 14 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी।

▶ परेशान आवेदक ने खटखटाया राज्य सूचना आयोग का दरवाजा

गुरुचरन का कहना है कि जानकारी लेने के लिए 30 सितम्बर 2009 को तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व जन सूचना अधिकारी के यहां आवेदन किया गया था। इसके 64 दिनों बाद मुझसे मौखिक रुप से संबंधित अधिकारी ने जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक हजार रुपये की मांग की इस पर मैंनें पांच दिसम्बर 2009 को एक हजार रुपये जमा कर दिया। तब मुझे जनसूचना अधिकारी ने एक माह के अंदर सारी सूचनाएं उपलब्ध करा देने का आश्वासन दिया। एक माह बाद भी सूचना न मिलने पर मैं मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में संबंधित कागज और जमा किये गये पैसे की रसीद के साथ पहुंचा। वहां से मुझे डीपीआरओ कार्यालय भेज दिया गया। डीपीआरओ कार्यालय से भी कोई संतोषजनक जानकारी नहीं मिली। विभिन्न कार्यालयों का चक्कर काटते- काटते परेशान होने पर मैंने डीएम कार्यालय में सभी दस्तावेजों के साथ शिकायत कर दी। वहां से भी कोई सूचना नहीं मिली तो मैंने सूचना आयोग में शिकायत कर दी। लेकिन अभी भी गुरुचरन को मांगी गई सूचना नहीं मिली है। अब गुरुचरन इंतजार कर रहे है कि आयोग की ओर से संबंधित जन सूचना अधिकारी के खिलाफ कब कार्रवाई करता है और उन्हें कब सूचनाएं मिलती है।

अमर उजाला कॉम्पैक्ट
वाराणसी, शुक्रवार, 17 दिसंबर 2010

आयोग से मंडल स्तर पर सुनवाई की मांग

वाराणसी। सूचना का अधिकार अभियान संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम के तीसरे दिन गुरुवार को जिला मुख्यालय पर गोष्ठी हुई। वक्ताओं में मुख्य रूप से नंदलाल मास्टर ने कहा कि राज्य सूचना आयोग द्वारा मंडल स्तर पर सुनवाई की व्यवस्था की जाए। दूसरे वक्ता कार्यक्रम संयोजक बल्लभाचार्य पांडेय ने कहा कि जिले के अधिकारियों द्वारा सरकारी खर्च पर राज्य सूचना आयोग जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए।

• सूचना का अधिकार पर हुई गोष्ठी

नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति

अजय पटेल, महेंद्र और अनुभव पांडेय ने आयोग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान बालचंद यादव और उनके साथियों ने भोजपुरी गीत के जरिए लोगों का दिल जीता। प्रेरणा कला मंच की टीम ने एक जागरूकता नुक्कड़ नाटक पेश किया। जन संगठनों में आइसा, लोक समिति, आशा परिवार, आसरा सहित आम जन की सक्रिय भागीदारी रही।

ज्ञापन दिया

संस्था की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया। विभिन्न समस्याओं के लिए 25 से अधिक लोगों ने जानकारी ली और कई विभागों में सूचना का आवेदन किया। इस अवसर पर सिद्धार्थ भाई, इंदू पांडेय, गुंजन सिंह, अजय कुमार पटेल, अनुभव कुमार, महेंद्र प्रसाद, प्रदीप कुमार सिंह, गोपाल भाई, बद्री नारायण मिश्र, प्रेम प्रकाश आदि मौजूद रहे।

सूचना आयुक्त का आगमन आज

वाराणसी। आशा ट्रस्ट की ओर से आयोजित सूचना के अधिकार कानून के संबंध में शनिवार को आयोजित गोष्ठी में भाग लेने के लिए राज्य सूचना आयुक्त ज्ञानेंद्र शर्मा शुक्रवार की देर रात बनारस पहुंचेंगे। यह जानकारी कार्यक्रम के संयोजक वल्लभाचार्य पांडेय ने दी।

अमर उजाला वाराणसी | बुधवार | 15 दिसंबर 2010

वाराणसी रविवार, 19 दिसम्बर 2010 वाराणसी

नौकरशाही में राजा-प्रजा का है भेद : सूचना आयुक्त

अफसरों को लगता है उनके अधिकारों का हो रहा है अतिक्रमण

कार्यालय संवाददाता

वाराणसी

सूचना अधिकार कानून बना तो दिया गया, मगर अब भी प्रदेश में नौकरशाही में राजा-प्रजा का भेद समाप्त नही हुआ है। यहीं कारण है कि कोई जानकारी मांगी जाती है तो नौकरशाह उसे देना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि उनके अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है। यह उद्गार शनिवार को विकास भवन में आयोजित सूचना अधिकार: चुनौतियां एवं समाधान संगोष्ठी में राज्य सूचना आयुक्त ज्ञानेन्द्र शर्मा ने व्यक्त किए। कहा कि केन्द्र ने अधिकार तो बना दिया लेकिन उसे लागू कराने में सरकारी विभाग उदासीन बने हुए हैं। खुद विभाग के पास संसाधन के नाम पर फूटी कौड़ी नही है। उन्होंने विभाग की तुलना उस ज्योतिषी से की जो खुद तो गरीब है लेकिन दूसरों को अमीर बनने का जरिया बता रहा है। कहा कि फिर भी अधिकार के प्रति जिस तरह से लोग जागृत हो रहे हैं वह सरकारी विभागों में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने का एक अहम कदम है। कहा कि सूचना अधिकार शिकायत निवारण संस्था नहीं बल्कि उस दिशा में एक प्रभावी कदम अवश्य है।

35 लाख रुपए पेनाल्टी वसूला: उपसचिव संयुक्त रजिस्ट्रार केन्द्रीय सूचना आयोग पंकज श्रेयस्कर ने भी सूचना अधिकार के क्रियान्वयन में यूपी की स्थिति को बदतर बताया। 70 साल पुरानी व्यवस्था को बदलने में समय लगेगा। कहा कि आम आदमी की आशा होती है कि उसे सभी जानकारी मिले। लेकिन, बहुत सूचनाओं का रेकार्ड मेंटेन नहीं होता। इसके लिए धारा 25(पांच) के तहत अब रेकार्ड मेंटेन करना होगा। कहा कि केवल केन्द्रीय विभागों में 50 लाख पेनाल्टी लगायी गई थी जिसमें 35 लाख वसूल किया जा चुका है। बाकी कोर्ट में स्टे के कारण लटका है।

लागू नहीं हो रहा अधिकार: संगोष्ठी में मौजूद सबने माना कि सूचना अधिकार लागू हुए पांच वर्ष हो गए लेकिन प्रदेश में इस कानून का अनुपालन सही तरीके से नही हो रहा है। संगोष्ठी की अध्यक्षता डा. ओपी केजरीवाल पूर्व केन्द्रीय सूचना आयुक्त ने की।

विकास भवन में आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित करते प्रदेशके सूचना आयुक्त ज्ञानेन्द्र शर्मा।

नुक्कड़ नाटकों से दी आरटीआई की जानकारी

वाराणसी। सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के पांच वर्ष पूरे होने पर पांच दिवसीय जागरूकता शिविर मंगलवार को जिला मुख्यालय पर शुरू हुआ। जन विकास समिति वाराणसी और दलित विकास समिति गाजीपुर से जुड़े युवाओं ने नुक्कड़ नाटकों और लोकगीत के जरिये लोगों को सूचना के अधिकार से अवगत कराया। दर्जनों लोगों ने विभिन्न मामलों में सूचना मांगने के लिए आवेदन किया।

सूचना का अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश की ओर से लगाए गए शिविर का उद्घाटन एनएपीएम के प्रदेश संयोजक केशव चंद वैरागी ने किया। हस्ताक्षर अभियान में राहगीरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सात्र सूत्रीय मांगपत्र जिला प्रशासन को दिया गया। कार्यक्रम संयोजक बल्लभाचार्य पांडेय, समाजसेवी सिद्धार्थ, नंदलाल मास्टर, रेखा चौहान, अजय पटेल, जयशंकर पांडेय, प्रदीप सिस्टम शिल्पा, विश्वेस, अंजनी ने विचार रखे।

कॉम्पैक्ट

वाराणसी, बृहस्पतिवार, 16 दिसंबर, 2010

सूचना अधिकार कानून के बारे में दी जानकारी

वाराणसी। सूचना का अधिकार अभियान की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दूसरे दिन बुधवार को जिला मुख्यालय पर सूचना अधिकार कानून के बारे में सामान्य जानकारी दी गई। 16 को नुक्कड़ नाटक और लोकगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर नंदलाल, अजय पटेल, रेखा सिंह चौहान, राजकुमार और सिद्धार्थ आदि मौजूद रहे।

नुक्कड़ नाटक : सूचना का अधिकार अभियान की ओर से जिला मुख्यालय पर नुक्कड़ नाटक व परिचर्चा पूर्वाह्न 11 बजे।

कार्यक्रम : सूचना का अधिकार अभियान की ओर से जिला मुख्यालय पर पूर्वाह्न 11 बजे।

जन सूचना अधिकारियों को राज्य सूचना आयुक्त की हिदायत

कार्यप्रणाली में बदलाव लाएं अफसर

वाराणसी (एसएनबी)। राज्य सूचना आयुक्त ज्ञानेन्द्र शर्मा ने जन सूचना अधिकारियों को जनता व शासन की कड़ी बताते हुए कहा कि जन सूचना अधिकार में उनकी ऐतिहासिक भूमिका है। अपने कार्य संस्कृति से नजीर बनने की सलाह देते हुए उन्होंने निर्धारित 30 दिन के अन्दर आवेदक को जवाब उपलब्ध कराये जाने व अपने से सम्बन्ध न रखने वाले प्रार्थना पत्रों को पांच दिन के अन्दर सम्बन्धित विभाग को मुहैया कराये जाने का निर्देश जन सूचना अधिकारियों को दिया। उन्होंने जनसूचना अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग करने वाले लोगों को चिन्हित करने पर भी जोर दिया तथा कहा कि मानक के विपरीत प्रार्थनापत्रों को निरस्त करे। उन्होंने दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों की सूचना भी आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। श्री शर्मा आज विकास भवन सभागार 'सूचना का अधिकार कानूनः चुनौतियां व समाधान' विषयक संगोष्ठी के बाद जन सूचना अधिकारियों की बैठक में विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ज्यादातर मामले उन्हीं के स्तर पर लम्बित हैं। उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे दोनों ही पक्षों को आमने सामने बुलाकर मामलों के निस्तारण में रुचि ले। उन्होंने जनसूचना अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निर्धारित शुल्क अवश्य प्राप्त करें। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आयोग के संज्ञान में यह बात है कि किन-किन मामलों में आवेदकों द्वारा सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा धमकी दी जाती है। इतना ही नहीं कभी-कभी अधिकारी व कर्मचारी दण्डित भी हो जाते है। उन्हें किसी से डरने व आंतकित होने की जरूरत नहीं है। वे पूर्ण निष्पक्षता के साथ अपने दायित्व का निवर्हन करें। ऐसे मामलों में उन्होंने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया।

संगोष्ठी : विकास भवन में सूचना अधिकार पर संगोष्ठी। *फोटो : एसएनबी*

पूर्व केन्द्रीय सूचना आयुक्त डा. ओपी केजरीवाल ने कहा कि कानून में सूचनाएं जिस रूप में हैं उसी रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। केन्द्रीय सूचना आयोग नयी दिल्ली के उपसचिव व संयुक्त रजिस्ट्रार पंकज श्रेयस्कर ने केन्द्रीय आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में बताते हुए कहा कि आयोग में अपील व शिकायत वेबसाइट के माध्यम से सीधे की जा सकती है। सुनवाई के दौरान आवेदक को बार-बार दिल्ली तक जाने की आवश्यकता नहीं होती। इस अवसर पर गांधी विद्या संस्थान के निदेशक प्रो. दीपक मलिक ने कहा कि यह कानून स्वतन्त्र भारत का आम आदमी के हित में पोषित करने वाला सबसे मजबूत कानून है जिससे भविष्य में व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन होगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शरद कुमार सिंह ने ग्राम विकास स्तर पर सूचनाएं लेने में आ रही समस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रोटोकाल संजय सिंह यादव, परियोजना निदेशक डीआरडीए सहित जिले के सभी जनसूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी सहित स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। संगोष्ठी में स्वागत जय शंकर पाण्डेय ने किया, विषय प्रवर्तन तथा संचालन नन्दलाल मास्टर व धन्यवाद ज्ञापन अरविन्द मूर्ति ने किया। संगोष्ठी के दौरान सिद्धार्थ, केशव चन्द्र बैरागी, बल्लभाचार्य पाण्डेय, राजेश श्रीवास्तव, रेखा चौहान, प्रेम प्रकाश, वीरेन्द्र यादव, सुरेश राठौर, अशोक कुमार, महेन्द्र कुमार, राजकुमार, प्रदीप सिंह, ऊषा, विवेक यादव, गुंजन सिंह, बिन्दु सिंह, निजामुद्दीन, सतीश, हौशिला, अंजनी, फिरोज, बद्री नारायण मिश्र इत्यादि ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

- विकास भवन सभागार में सूचना का अधिकार कानूनः चुनौतियां व समाधान विषयक संगोष्ठी